

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग- III में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 10 मार्च, 2017

No. F.3(472)/Tariff-Engg./DERC/2016-17/5475/2490 - दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2017, एनसीटीडी नं. 343, दिनांकित 02-02-2017 को दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग- III, द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. इस विनियम के अंग्रेजी संस्करण में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं जिन्हें निम्नलिखित शुद्धिपत्र के द्वारा सुधार करने की आवश्यकता है:

i. भाग 1 में, खंड **“SHORT TITLE COMMENCEMENT AND EXTENT”**, को

“1. SHORT TITLE COMMENCEMENT AND EXTENT” पढ़ा जाए।

ii. भाग 1 में, खंड 1 के अंतर्गत, उप-खंड **“(3), (4), (5), (6)”** को **“(1), (2), (3), (4)”** पढ़ा जाए।

iii. भाग 1 में, खंड 1 के अंतर्गत, उप-खंड **“(7)”**, उप उप-खंड **“(a), (b)”** को **“(5)”, “(a), (b)”** पढ़ा जाए।

iv. भाग 1 में, खंड 2, उप खंड (1) में **“Act”** को **“Act”** पढ़ा जाए।

v. भाग 1 में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (12), उप उप-खंड **“(a), (b), (c), (d)”** को **“(a), (b), (c), (d)”** पढ़ा जाए।

- vi. भाग 1 में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (18), उप उप-खंड “(a), (b), (c), (d), (e)” को “(a), (b), (c), (d), (e)” पढ़ा जाए।
- vii. भाग 1 में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (26), उप उप-खंड “(a), (b), (c), (d)” को “(a), (b), (c), (d)” पढ़ा जाए।
- viii. भाग 1 में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (69), उप उप-खंड “(a), (b)” को “(a), (b)” पढ़ा जाए।
- ix. भाग 2 में, शीर्षक “**Business Plan**” को “**BUSINESS PLAN**” पढ़ा जाए।
- x. भाग 3 में, उप-शीर्षक “**GENERATING ENTITY and Transmission Licensee**” को “**GENERATING ENTITY AND TRANSMISSION LICENSEE**” पढ़ा जाए।
- xi. भाग 4 के, खंड 15 में “Regulation 0” को “Regulation 13” पढ़ा जाए।
- xii. भाग 5 के, शीर्षक “**ARR Components**” को “**ARR COMPONENTS**” पढ़ा जाए।
- xiii. भाग 5 के, खंड 28 में “Regulation 0 to 0” को “Regulations 44 to 48” पढ़ा जाए।
- xiv. भाग 5 के, खंड 31 में “Regulation 0(2)” को “Regulation 25(2)” पढ़ा जाए।
- xv. भाग 5 के, खंड 46 में “Regulation 0” को “Regulation 45” पढ़ा जाए।
- xvi. भाग 5 के, पेज 54, खंड 68 के बाद, “Return on Capital Employed (RoCE) for the year “I” shall be computed in the following manner:” को “69. Return on Capital Employed (RoCE) for the year “I” shall be computed in the following manner:” पढ़ा जाए।
- xvii. भाग 5 के, खंड 73 में “Regulation 0” को “Regulation 72” पढ़ा जाए।
- xviii. भाग 5 के, खंड 74 में “Regulation 0 and 0” को “Regulation 63 and 64” पढ़ा जाए।
- xix. भाग 5 के, खंड 83 में “Regulation 0” को “Regulation 51” पढ़ा जाए।
- xx. भाग 6 के, शीर्षक “**Recovery of Aggregate Revenue Requirement**” को “**RECOVERY OF AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT**” पढ़ा जाए।

- xxi. भाग 6 में, खंड 116 के अंतर्गत, उप-खंड “(a), (b), (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j)” को “(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l)” पढ़ा जाए।
- xxii. भाग 6 के, खंड 117 में “Regulation 0” को “Regulation 116” पढ़ा जाए।
- xxiii. भाग 6 के, खंड 120 में “Regulation 0” को “Regulation 119” पढ़ा जाए।
- xxiv. भाग 6 के, खंड 122, की प्रथम लाइन में “Regulation 0” को “Regulation 119” पढ़ा जाए और अंतिम लाइन में “Regulation 0” को “Regulation 121” पढ़ा जाए।
- xxv. भाग 6 के, खंड 130 में, “Capacity Charges of Transmission Licensee including Load Dispatch Charges Stations as approved/adopted by the appropriate Commission” को “(b) Capacity Charges of Transmission Licensee including Load Dispatch Charges Stations as approved/adopted by the appropriate Commission” पढ़ा जाए।
- xxvi. भाग 6 के, खंड 130 में, “Fixed Cost of Distribution Licensee:” को “(c) Fixed Cost of Distribution Licensee:” पढ़ा जाए।
- xxvii. भाग 7 के, खंड 152, उप-खंड (e) में, “Regulation 0” को “Regulation 77” पढ़ा जाए।
- xxviii. भाग 7 के, खंड 152, उप-खंड (f) में, “Regulation 0” को “Regulation 85” पढ़ा जाए।
4. यह शुद्धिपत्र आयोग के अनुमोदन पर जारी किया गया है।

सुरेंद्रा इडुपघंटी
सचिव